तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील जीसीएमएस नम्बर 2024 / 121 केसरी व अन्य बनाम कंचन व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.09.24	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उपस्थित। अधिवक्ता अपीलांट की बहस प्रार्थना पत्र प्रकरण उनवानी पत्रावली सक्षम न्यायालय में पेश करने के लिये लौटाने पर सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया गया कि प्रकरण उनवानी अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है किन्तु प्रकरण में पुर्नविलोकन (रिव्यू) पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर दिये जाने के कारण मूल निर्णय की अपील न्यायालय हाजा में चलने योग्य नहीं है। अपील की सुनवाई का अधिकार न्यायालय हाजा को नहीं है। प्रकरण में पुर्नविलोकन (रिव्यू) प्रार्थना पत्र की रिवीजन माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में की जानी अपेक्षित है। ऐसी स्थिति में अपील लौटाये जाने बाबत आदेश जारी किये जाये ताकि प्रकरण की रिवीजन माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की जा सके। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अपीलार्थी द्वारा हस्तगत अपील उपखण्ड अधिकारी सिकराय के प्रार्थना पत्र रिव्यू पुर्नविलोकन मु. नं. 85 / 2022 उनवानी कंचन बनाम राज0 सरकार पर पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.01.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील की सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय हाजा को प्रदत्त नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील पर अग्रिम कार्यवाही न्यायालय हाजा के स्तर पर संभव नहीं होने से अपीलार्थी की अपील सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु वापस लौटाई जाना न्यायोचित होगा। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परिणामतः अपीलार्थी को मूल अपील सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु लौटाई जाती है। इस न्यायालय के स्तर से पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो। आदेश सुनाया गया। (डॉ. प्रवीण कुमार) अति. संभागीय आयुक्त जयपुर	